धारा 78 : वसूली कार्यवाहियों का आरंभ किया जाना

इस अधिनियम के अधीन पारित किसी आदेश के अनुसरण में कराधेय व्यक्ति द्वारा संदेय किसी रकम को ऐसे व्यक्ति द्वारा ऐसे आदेश की तामील की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर संदत्त किया जाएगा, जिसमें असफल रहने पर वसूली कार्यवाहियां आरंभ की जाएंगी :

परन्तु जहां समुचित अधिकारी राजस्व हित में ऐसा करना समीचीन समझता है तो वह कारणों को लेखबद्ध करते हुए उक्त कराधेय व्यक्ति से उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली तीन मास से कम अवधि के भीतर, संदाय करने की अपेक्षा कर सकेगा।